# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

## पीठासीन अधिकारी : लक्ष्मीकान्त कटारा , आर.ए.एस.

जी.सी.एम.एस. : 2020/00036
प्रार्थना पत्र संख्या :– 17/2020

1. श्रवण लाल उर्फ लालचन्द पुत्र श्री गोविन्दराम
2. मुरली देवी पत्नी श्री श्रवणलाल यादव उर्फ लालचन्द यादव निवासी ग्राम महेशवास कलां तहसील आमेर जिला जयपुर।

— — — प्रार्थीगण

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।

— — — अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136**
**लेण्ड रेवन्यू एक्ट**

**निर्णय** दिनांक :–08.09.2020

संक्षेप में प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 का पेश किया है की वाके ग्राम महेशवास कलां तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित आराजी खाता संख्या 41 एवं 275 में दर्ज नाम श्रवण पुत्र गोविन्दराम हिस्सा 1/6 जाति अहीर (यादव), खाता सं0 192, 190, 193, 259 में दर्ज नाम लालचन्द पुत्र गोविन्दराम व खाता सं0 42 में प्रार्थियां मुरली देवी पत्नी श्रवणलाल हिस्सा 2/15 व मुरली देवी पत्नी लालचन्द हिस्सा 163/1785 तथा मूली देवी पत्नी लालचन्द हिस्सा 5/119 के स्थान पर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम श्रवण लाल उर्फ लालचन्द इन्द्राज दुरूस्ती के आदेश फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार आमेर से राजस्व रिकॉर्ड एवं प्रार्थना पत्र में संलग्न दस्तावेजात का परीक्षण कर जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार आमेर ने पत्र क्रमांक एल.आर./20/3587 दिनांक 31.08.2020 के द्वारा जांच रिपोर्ट भिजवायी गयी जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात यथा आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम श्रवण लाल उर्फ लालचन्द यादव दर्ज है। तथा राजस्थान राजपत्र दिनांक 07.04.2016 में प्रार्थी का नाम श्रवण लाल उर्फ लालचन्द यादव प्रकाशित किया गया है। अतः जांच रिपोर्ट तहसीलदार आमेर व उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का नाम वर्तमान राजस्व

रिकॉर्ड में अन्य सहखातेदारान के साथ श्रवण लाल व लालचन्द के स्थान पर श्रवण लाल उर्फ लालचन्द पुत्र गोविन्दराम अहीर निवासी सादेह इन्द्राज किया जाना उचित होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तहसील आमेर को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि की आधार वर्ष 2074–2077 की जमाबंदी के खाता संख्या 42 में दर्ज नाम मुरली देवी पत्नी श्रवणलाल हिस्सा 2/15 के स्थान पर मुरली देवी पत्नी श्रवण लाल उर्फ लालचन्द यादव व खाता संख्या 42 में दर्ज नाम मुरली देवी पत्नी लालचन्द हिस्सा 163/1785 के स्थान पर मुरली देवी पत्नी श्रवण लाल उर्फ लालचन्द यादव तथा खाता संख्या 42 में मूली देवी पत्नी लालचन्द हिस्सा 5/119 के स्थान पर मुरली देवी पत्नी श्रवण लाल उर्फ लालचन्द यादव, खाता सं0 41 श्रवण पुत्र गोविन्दराम हिस्सा 1/6, खाता सं0 275 श्रवण पुत्र गोविन्दराम हिस्सा 1/36, खाता सं0 192, 190, 193, लालचन्द पुत्र गोविन्दराम हिस्सा 1/32 के स्थान पर श्रवण लाल उर्फ लालचन्द यादव तथा खाता संख्या 259 लालचन्द पुत्र गोविन्दराम हिस्सा 1/4 के स्थान पर श्रवण लाल उर्फ लालचन्द यादव निवासी सादेह इन्द्राज दुरूस्त किया जावें।

आज दिनांक 08.09.2020 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।